रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 740] नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 30, 2015/अग्रहायण 9, 1937
No. 740] NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 30, 2015/AGRAHAYANA 9, 1937

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 नवम्बर, 2015

सं. 133/2015-सीमा शुल्क (गै.टे.)

सा.का.नि. 916(अ).—सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 152 के उपवाक्य (क) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतदद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग), की अधिसूचना सं. 60/2015-सीमा शुल्क (गै.टे.) दिनांक 4 जून, 2015, जिसे सा.का.नि. 453(अ), दिनांक 4 जून, 2015 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा :-

उक्त अधिसूचना में-

(i) "प्रधान महानिदेशक, राजस्व आसूचना महानिदेशालय" शब्दों के स्थान पर "प्रधान महानिदेशक या महानिदेशक, राजस्व आसूचना महानिदेशालय" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ii) "आयुक्त सीमा शुल्क" शब्दों के स्थान पर, "प्रधान आयुक्त या आयुक्त या अपर आयुक्त या संयुक्त आयुक्त या उप-आयुक्त या सहायक आयुक्त, सीमा शुल्क" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

[फा. सं. 450/145/2014- सीमा शुल्क IV]
जेड. आर. कामिली, निदेशक (सीमा शुल्क)

नोट : प्रधान अधिसूचना को अधिसूचना सं. 60/2015-सीमा शुल्क (गै.टै.), दिनांक 4 जून, 2015, के द्वारा, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में सा.का.नि. 453 (अ), 4 जून, 2015 के तहत प्रकाशित किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th November, 2015

No. 133 /2015 –Customs (N.T.)

G.S.R. 916(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of section 152 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, on the being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following amendments further to amend the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 60/2015-Cus (N.T.), dated 4th June, 2015, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub- section (i) vide number G.S.R. 453(E), dated the 4th June, 2015, namely:-

In the said notification.-

(i) for the words, "Principal Director General, Directorate General of Revenue Intelligence," the words "Principal Director General or the Director General, Directorate General of Revenue Intelligence," shall be substituted;

(ii) for the words, "Commissioner of Customs" the words "Principal Commissioner or Commissioner or Additional Commissioner or Joint Commissioner or Deputy Commissioner or Assistant Commissioner of Customs" shall be substituted.

[F. No. 450/145/2014- Cus IV]

Z. R. KAMILI, Director (Customs)

Note.—The principal notification was published *vide* notification No. 60/2015- Cus (N.T.), dated 4th June, 2015, in the Gazette of India Extraordinary, Part –II, Section 3, Sub- Section (i) vide number G.S.R. 453(E), dated the 4th June, 2015.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 नवम्बर, 2015

सं. 134/2015-सीमा शुल्क (गै.टे.)

सा.का.नि. 917(अ).—सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 4 की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड, एतदद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग), की अधिसूचना सं. 83/2004-सीमा शुल्क (गै.टे.), दिनांक 30 जून, 2004, जिसे सा.का.नि. 393(अ), दिनांक 30 जून, 2004 को भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करता है, यथा :-

उक्त अधिसूचना में, क्रम सं. (1) और उससे संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा :-

"(1) "प्रधान राजस्व आसूचना महानिदेशक, नई दिल्ली या आसूचना महानिदेशक जो कि प्रधान मुख्य आयुक्त, सीमा शुल्क या मुख्य आयुक्त, सीमा शुल्क होंगे जिनका सम्पूर्ण भारत पर क्षेत्राधिकार होगा,"।

[फा. सं. 450/145/2014- सीमा शुल्क IV]

जेड. आर. कामिली, निदेशक (सीमा शुल्क)

नोट.—प्रधान अधिसूचना सं. 83/2004-सीमा शुल्क (गै.टै.), दिनांक 30 जून, 2004 को सा.का.नि. 393(अ), 30 जून, 2004 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना सं. 85/2014-सीमा शुल्क (गै.टे), दिनांक 16 सितम्बर, 2014, जिसे सा.का.नि. 662(अ), दिनांक 16 सितम्बर, 2014 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है।

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th November, 2015

No. 134/2015 –Customs (N.T.)

G.S.R. 917(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Board of Excise and Customs hereby makes following amendments further to amend the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 83/2004- Customs (N.T.), dated the 30th June, 2004, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub- section (i), vide number G.S.R. 393 (E), dated the 30th June, 2004, namely:-

In the said notification, for the Sl. No. (1) and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:-

"(1) the Principal Director General of Revenue Intelligence, New Delhi or Director General of Revenue Intelligence to be the Principal Chief Commissioner of Customs or Chief Commissioner of Customs, who shall have jurisdiction over the whole of India;".

[F. No. 450/145/2014- Cus IV]

Z. R. KAMILI, Director (Customs)

Note.—The principal notification No. 83/2004- Customs (N.T.), dated the 30th June, 2004 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), dated the 30th June, 2004 *vide* number G.S.R. 393(E), dated the 30th June, 2004 and last amended *vide* notification No. 85/2014- Customs (N.T.), dated the 16th September, 2014 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), dated the 16th September, 2014 vide number G.S.R. 662(E), dated the 16th September, 2014.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.